कार्यवाही विवरण	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
31.08.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 21.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी करवाए जाने का आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा जमाबंदी एवं सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 21.06.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।	

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110, 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बड़ागांव पटवार हल्का बड़ागावं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 1.4000 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2021 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:15:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner